अति आवश्यक / महात्वपूर्ण

संख्या–2533 / 38–1–2013–3536 / 2005

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 19 अगस्त 2013

विषयः–जिला स्तर पर सोशल आडिट कार्यक्रम का प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन जिला विकास अधिकारी को सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1823 / 38–1–2013–3536 / 2005, दिनांक 29–7–2013 द्वारा सोशल आडिट निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों में जनपद स्तर पर समन्वय का कार्य जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया है।

2– उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी के समग्र नियंत्रणाधीन जिला विकास अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से सोशल आडिट कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा जिला विकास अधिकारी द्वारा शासन / सोशल आडिट निदेशालय के निर्देशों एवं सामान्य वित्तीय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिला / ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटरों के मानदेय, नियत यात्रा व्यय तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित सभी आनुषांगिक व्ययों इत्यादि की स्वीकृति एवं भुगतान किया जाएगा। जिला ब्लाक सोशल आडिट को–आर्डिनेटर जिला विकास अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। इस सम्बन्ध में कार्य प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश समय–समय पर सोशल आडिट निदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्याः2533 (1) / 38–1–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. प्रधान महालेखाकार (आडिट) सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद / महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

निदेशक

19-9-013